संख्या 1097/XXX(2)/2011

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 08 अगस्त ~~जुलाई~~ 2011

विषय : उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह "ग" के पदों हेतु सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-207/01/ ई-2/2005-06 दिनांक 20 अप्रैल 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह "ग" के पदों हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के प्राविधानों के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर शासन के अभिमत की अपेक्षा की गई है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर न्याय विभाग से परामर्शोपरान्त शासन का बिन्दुवार अभिमत निम्नवत है :-

आयोग द्वारा इंगित अभिमत के बिन्दु	बिन्दुवार शासन का अभिमत
बिन्दु संख्या-1-क्या आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के पदों हेतु उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता भारतीय संविधान के अनु0-16(2) का उल्लंघन नहीं है, जिसमें कहा गया है कि जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई नागरिक अपात्र नही होगा।	भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के अनुसार संविधान द्वारा प्रदान 'समता का अधिकार' का आशय 'equality amongst equals' से है न कि 'equality amongst unequals'। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा Reasonable Classification भी किये जा सकते हैं जिसके अन्तर्गत समता का अधिकार होने के उपरान्त भी राज्य द्वारा मामलों को असमान रूप से व्यवहृत किये जाते हैं। इसी कम में राज्याधीन सेवाओं के लिए राज्य द्वारा अर्हताएं, अनिवार्यताएं, शर्तें व प्रतिबन्ध अधिरोपित किये जाते हैं जो 'समता' का उल्लंघन नहीं माने जाते। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राज्याधीन सेवा के लिए किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता भी इसी व्यवस्था का अंग है। यदि राज्य द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य भेद किया जाता है, तो वह 'समता' का उल्लंघन होगा।

बिन्दु सख्या-2-लोक-सेवा आयोग की परिधि के पदों के सबध में प्रश्नगत नियमावली बनाने से पूर्व संविधान के अनु0-320(3) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से परामर्श किया गया है। क्या शासन आयोग के परामर्श के बिना ही आयोग की परिधि के पद की नियमावली में संशोधन करने में सक्षम है?	प्रश्नगत नियमावली अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर प्रख्यापित की गई है। यह नियमावली समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए केवल अर्हता निर्धारण के सम्बन्ध में प्रख्यापित की गई है। संविधान के अनुच्छेद-320(3) के प्राविधानानुसार लोक सेवा आयोग का परामर्श सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिये भर्ती की पद्धतियों से सम्बन्धित विषयों पर ही अनिवार्य है।
बिन्दु संख्या-3-सेवायोजन कार्यालय में पंजिकरण की अनिवार्यता से, ऐसे व्यक्ति, जो पहले से ही किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी अथवा निजी संस्थान में सेवायोजित हैं तथा समूह 'ग' के पद हेतु आवेदन करते के इच्छुक हैं, आयोग के अधीन समूह 'ग' की प्रतियोगितात्मक परीक्षा से वचित नहीं हो जायेंगे तथा उनके विधिक अधिकारों को क्षति पहुंचेगी। सेवायोजित व्यक्ति किस प्रकार सेवायोजन कार्यालय में अपना पंजीकरण कराएगा?	जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं किन्तु समूह "ग" के पद हेतु आवेदन करने के इच्छुक हैं और आयोग के अधीन समूह "ग" की प्रतियोगितात्मक परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव